उत्तर रेलवे

रुचि की अभिव्यक्ति

दिल्ली मंडल के अंतर्गत पानीपत, कुरुक्षेत्र व करनाल के लिए अस्पतालों के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मंडल चिकित्सालय उत्तर रेलवे दिल्ली द्वारा पानीपत, कुरुक्षेत्र व करनाल क्षेत्र के लिए निजी अस्पताल जो कि स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)/भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना(ईसीएचएस)/ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ पैनल पर हैं से दिल्ली मंडल के स्वास्थ्य लाभार्थियों के आपात स्थिति में इलाज के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं यदि कोई निजी अस्पताल (सीजीएचएस, ईसीएचएस/ईएसआईसी) के साथ पैनल पर नहीं है तो वह अस्पताल अपनी निजी दरों पर रियायत के साथ आवेदन जमा करा सकते हैं।

अस्पतालों को सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस) लाभार्थियों सहित रेलवे स्वास्थ्य लाभार्थियों के इलाज के लिए कैशलेस चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मंडल अस्पताल, दिल्ली के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करना होगा। कैशलेस सेवाओं की शर्तें इस प्रकार हैंः–

1. रेलवे मरीज उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी एक रेफरल पर्ची निजी अस्पताल में जमा करेगा।
2. रेफरल स्लिप पर लगे फोटोग्राफ के अनुसार रोगी की प्रामाणिकता का सत्यापन किया जाएगा।
3. उपचार समाप्त होने के बाद, बिलों को रेलवे चिकित्सा अधिकारियों के पास भेजा जाएगा जिनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
4. उस क्षेत्र/आस–पास के क्षेत्रों के लिए सीजीएचएस कि जो अनुमोदित दरें उसके अनुसार बिलों का भुगतान किया जायेगा व जो मद सीजीएचएस दर सूची के तहत सूचीबद्ध नहीं है उन मदों का भुगतान अनुबंध के अनुसार किया जायेगा।

अभ्यावेदन प्रस्ताव, उनकी प्रस्तावित दरें (सीजीएचएस/एनएबीएच/गैर–एनएबीएच या अस्पताल दरें) इच्छा–पत्र, उपलब्ध सुविधाएं, बुनियादी ढांचा मंडल मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/दिल्ली के नाम होगा व अभ्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि **25 अक्टूबर, 2022 तक शाम 17.00 बजे तक** है अस्पताल को पैनल हेतु मान्यता के लिए प्रक्रिया रेलवे बोर्ड के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी प्रश्न के मामले में सीएमएस कार्यालय, मंडल अस्पताल, उत्तर रेलवे, एसपी मुखर्जी मार्ग, दिल्ली–110006 से किसी भी कार्य दिवस पर **सुबह 10.00 बजे** से **शाम 05.00 बजे** (सोमवार से शनिवार) के बीच संपर्क किया जा सकता है। विज्ञापन की विस्तृत शर्तें उत्तर रेलवे की वेबसाइट **www.nr.indianrailways.gov.in** पर भी पोस्ट की जाती हैं। **सं.: 62-मेड/अस्पताल/रिकोग/दिल्ली/2022** **दिनांकः 21.09.2022**

2475/2022

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ